न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर कोर्ट केम्प रामसर

पीठासीन अधिकारी—श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 01 / 2017

अपीलांट

1. साला खां पुत्र आचार खां
2. सुमार खां पुत्र आचार खां
3. मिठा खां पुत्र आचार खां

जातियान मुसलमान निवासीयान निहालियोणियो का टोभा, गंगाला तहसील रामसर जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटस

1. तहसीलदार रामसर
2. तालब खां पुत्र गोचार
3. चिना खां पुत्र मुसाखा
4. सामाणा खां पुत्र मिठा खां
5. फूलियां पुत्र मिठा खां

जातियान मुसलमान निवासीयान निहालियोणियो की टोभा गंगााला तहसील रामसर जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 31.10.2013 द्वारा तहसीलदार रामसर

उपस्थित—
1. अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट सं0 04 व 05 अनुपस्थित।
2. रेस्पोडेंट सं. 02 व 03 उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से ना.तहसीलदार रामसर उप0

<u>आदेश</u> दिनांक 06.06.2017

1. संक्षेप में अपीलान्ट की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांटस व रेस्पोडेंटस संख्या 02 से 05 की पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि मूल खसरा नंबर 332 रकबा 187 बीघा 15 विस्वा मौजा निहालाणियो का टोभा पटवार हल्का गंगाला तहसील रामसर में आई हुई है। उक्त भूमि में से 02 बीघा भूमि स्कूल भवन निर्माण हेतु अपीलांट की जानकारी में लाए बगैर अपीलांट के फर्जी एवं कूट रचित हस्ताक्षर अंगुष्ठ निशान लगाकर सर्मपण एग्रीमेंट तैयार कर तहसीलदार रामसर से समर्पण आदेश दिनांक 31.10.2013 पारित करवाया गया। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड मे राज्य सरकार के नाम दर्ज है, परन्तु उक्त भूमि का कब्जा अपीलांटस के पास है एवं भौतिक रूप से लगातार

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

काबिज है। अरसा 20 दिन पूर्व राजस्व कर्मचारियों के मौके पर आने पर स्कूल निर्माण हेतु भूमि का नाप करने पर अपीलांट को समर्पण आदेश का ज्ञान हुआ। अपीलांटस ने उक्त समर्पण आदेश की प्रमाणित प्रतियॉ दिनांक 09.12.2016 को प्राप्त की तब उसे इस समर्पण आदेश दिनांक **31.10.2013** की जानकारी हुई। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांटस ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांटस ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किये।

2. हमने अपील अपीलांटस दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की।

3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार "न्याय आपके द्वार" के तहत राजस्व कोर्ट केम्प रामसर में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान एवं अभिभाषक को नोटिस की तामीली करा दी गई। अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट संख्या 04 व 05 बावजूद नोटिस तामील के हाजिर नहीं होने से एकतरफा आदेश पारित किया जाता है।

4. रेस्पोडेंट संख्या 02 व 03 का कथन हैं कि मौजा निहालाणियो का टोभा पटवार हल्का गंगाला के खसरा नंबर 332 रकबा 187.15 बीघा में से स्कूल भवन निर्माण हेतु 02 बीघा भूमि अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट संख्या 02 से 05 की सहमति से राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित की गई थी। अपीलांटस द्वारा एक राजस्व वाद धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामसर के न्यायालय में पेश किया था, जिसे अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस संख्या 02 से 05 द्वारा लोक अदालत की भावना से राजीनामा किया जाकर, वाद जरिये राजीनामा विड्रो किया गया। वर्तमान में उक्त समर्पित की गई भूमि पर स्कूल भवन का निर्माण हो चुका है। अतः अपीलांटस की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

5. हमने रेस्पोडेंटस संख्या 02 से 03 के कथन पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटस ने यह अपील तहसीलदार रामसर द्वारा पारित समर्पण आदेश दिनांक 31.10.2013 के विरूद्व पेश की है। अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस संख्या 02 से 05 की पैतृक भूमि खसरा नंबर 332 रकबा 187 बीघा 15 विस्वा सरहद मौजा निहालाणियो का टोभा पटवार मण्डल गंगाला

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

तहसील रामसर में आई हुई है। अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस संख्या 02 से 05 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में से 02.00 बीघा भूमि आपसी सहमति से स्कूल भवन निर्माण हेतु समर्पण करने का निर्णय किया एवं तहसीलदार रामसर के समक्ष समर्पण प्रस्ताव पेश किया। उक्त आपसी सहमति से करवाये गये समर्पण आदेश के कारण पक्षकारान के मध्य विवाद बना हुआ है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार मौजा निहालोणियो का टोभा के खसरा नंबर 332 रकबा 187.15 बीघा में से 2.00 बीघा भूमि पक्षकारान द्वारा वर्ष 2013 में भूमि समर्पित की गई। जिसका खसरा नंबर 456/332 रकबा 02.00 बीघा राज्य सरकार के नाम दर्ज है। उक्त 02.00 बीघा भूमि वर्तमान में मुहीबोणियो की ढाणी स्कूल के नाम जमाबन्दी में दर्ज है तथा वर्तमान में उक्त भूमि पर रा.प्रा.वि. मुहीबोणियो की ढाणी की चारदीवारी एवं भवन का निर्माण हो चुका है। अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट संख्या 02 से 05 ने आपसी सहमति से अपनी पैतृक भूमि खसरा नंबर 332 रकबा 187.15 में से 2.00 बीघा भूमि स्कूल भवन बनाने हेतु राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित की एवं वर्तमान में उक्त भूमि पर स्कूल की चारदीवारी एवं भवन का निर्माण हो चुका है तथा राजस्व रेकर्ड में भूमि राज्य सरकार के नाम दर्ज है। अतः अपीलांटस की अपील खारिज योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांटस की अपील आधारहीन एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

आदेश कोर्ट केम्प रामसर में आज दिनांक 06.06.2017 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)